

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	43106.44	10304.19	53410.63	36991.99	25759.02	62751.01	48063.76	25956.51	74020.27	49377.45	27341.02	76718.47	
<b>वसूलियां</b>	-6709.16	-0.51	-6709.67	-8170.00	-0.01	-8170.01	-170.00	-0.01	-170.01	-169.00	-0.01	-169.01	
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>निवल</b>	<b>36397.28</b>	<b>10303.68</b>	<b>46700.96</b>	<b>28821.99</b>	<b>25759.01</b>	<b>54581.00</b>	<b>47893.76</b>	<b>25956.50</b>	<b>73850.26</b>	<b>49208.45</b>	<b>27341.01</b>	<b>76549.46</b>	
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. सचिवालय													
1.01	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	1.20	...	1.20	...	...	...	...	...	...	...	...	
2. सचिवालय													
2.01	सचिवालय	101.18	...	101.18	112.22	...	112.22	108.14	...	108.14	120.00	...	120.00
		-0.06	...	-0.06	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>निवल</b>	<b>101.12</b>	...	<b>101.12</b>	<b>112.22</b>	...	<b>112.22</b>	<b>108.14</b>	...	<b>108.14</b>	<b>120.00</b>	...	<b>120.00</b>
2.02	केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग	1084.01	...	1084.01	...	...	...	...	...	...	...	...	
2.03	संपदा निदेशालय	61.89	...	61.89	70.38	...	70.38	69.45	...	69.45	69.95	...	69.95
		-0.67	...	-0.67	...	...	...	...	...	...	...	...	
	<b>निवल</b>	<b>61.22</b>	...	<b>61.22</b>	<b>70.38</b>	...	<b>70.38</b>	<b>69.45</b>	...	<b>69.45</b>	<b>69.95</b>	...	<b>69.95</b>
2.04	भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना	12.49	...	12.49	98.20	...	98.20	98.57	...	98.57	19.87	...	19.87
2.05	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	...	...	...	1.40	...	1.40	1.37	...	1.37	1.34	...	1.34
	<b>जोड़- सचिवालय</b>	<b>1258.84</b>	...	<b>1258.84</b>	<b>282.20</b>	...	<b>282.20</b>	<b>277.53</b>	...	<b>277.53</b>	<b>211.16</b>	...	<b>211.16</b>
3. संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन													
3.01	नगर और ग्राम योजना संगठन	14.07	...	14.07	13.47	...	13.47	13.22	...	13.22	13.50	...	13.50
3.02	राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56	5.56	...	5.56
3.03	दिल्ली शहरी कला आयोग	2.51	...	2.51	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
3.04	नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता अनुदान	11.30	...	11.30	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50
3.05	एनसीआर आयोजना बोर्ड	39.93	...	39.93	55.10	...	55.10	55.10	...	55.10	55.10	...	55.10
3.06	विभागीय कैंटीन सहित राजघाट समाधि समिति	4.06	...	4.06	9.00	...	9.00	8.00	...	8.00	7.00	...	7.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.07 भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिपद (सीएमटीपीसी)	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.50	...	6.50
3.08 केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
3.09 राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	2.25	...	2.25	4.08	...	4.08	4.06	...	4.06	4.00	...	4.00
3.10 स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
3.11 केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग	...	...	...	2977.45	...	2977.45	3168.49	...	3168.49	3249.10	...	3249.10
	...	...	...	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99	-3.99	...	-3.99
निवल	...	...	...	2973.46	...	2973.46	3164.50	...	3164.50	3245.11	...	3245.11
निवल	89.26	...	89.26	3088.27	...	3088.27	3278.04	...	3278.04	3358.87	...	3358.87
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>1349.30</b>	...	<b>1349.30</b>	<b>3370.47</b>	...	<b>3370.47</b>	<b>3555.57</b>	...	<b>3555.57</b>	<b>3570.03</b>	...	<b>3570.03</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं</b>												
4. मेट्रो परियोजनाएं												
4.01 इक्विटी निवेश	...	1620.85	1620.85	...	3454.91	3454.91	...	4329.69	4329.69	...	3702.00	3702.00
4.02 अधीनस्थ ऋण	...	2466.00	2466.00	...	1717.80	1717.80	...	1627.12	1627.12	...	1272.00	1272.00
4.03 पास श्रू सहायता	...	4485.74	4485.74	...	13825.29	13825.29	...	13021.19	13021.19	...	14156.00	14156.00
जोड़- मेट्रो परियोजनाएं	...	8572.59	8572.59	...	18998.00	18998.00	...	18978.00	18978.00	...	19130.00	19130.00
5. शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण	26.88	...	26.88	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	398.40	...	398.40	188.00	4284.00	4472.00	188.00	4284.00	4472.00	88.00	4622.00	4710.00
<b>जोड़-एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं</b>	<b>425.28</b>	<b>8572.59</b>	<b>8997.87</b>	<b>218.00</b>	<b>23282.00</b>	<b>23500.00</b>	<b>218.00</b>	<b>23262.00</b>	<b>23480.00</b>	<b>123.00</b>	<b>23752.00</b>	<b>23875.00</b>
<b>सामान्य पूल आवास</b>												
7. आवासीय												
7.01 आवासीय	939.02	567.19	1506.21	...	606.07	606.07	...	756.07	756.07	...	873.02	873.02
8. गैर-आवासीय												
8.01 गैर-आवासीय	826.13	1024.41	1850.54	...	1745.95	1745.95	...	1833.44	1833.44	...	2601.00	2601.00
	-1.42	-0.51	-1.93	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
निवल	824.71	1023.90	1848.61	...	1745.94	1745.94	...	1833.43	1833.43	...	2600.99	2600.99
<b>जोड़-सामान्य पूल आवास</b>	<b>1763.73</b>	<b>1591.09</b>	<b>3354.82</b>	...	<b>2352.01</b>	<b>2352.01</b>	...	<b>2589.50</b>	<b>2589.50</b>	...	<b>3474.01</b>	<b>3474.01</b>
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)												
9.01 भारत सरकार का अंशदान	106.25	...	106.25	119.91	...	119.91	85.00	...	85.00	...	...	...
9.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (एनईआरयूडीपी)	106.25	...	106.25	119.94	...	119.94	85.00	...	85.00	...	...	...
10. पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं	18.56	...	18.56	0.06	...	0.06	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं</b>	<b>124.81</b>	...	<b>124.81</b>	<b>120.00</b>	...	<b>120.00</b>	<b>85.00</b>	...	<b>85.00</b>	...	...	...

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
11. चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्मल कौशल विकास योजना	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
12. प्रधान मंत्री की फेरी वाला आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि)	113.62	...	113.62	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	150.00	...	150.00
13. सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>2427.44</b>	<b>10163.68</b>	<b>12591.12</b>	<b>540.01</b>	<b>25634.01</b>	<b>26174.02</b>	<b>605.01</b>	<b>25851.50</b>	<b>26456.51</b>	<b>275.01</b>	<b>27226.01</b>	<b>27501.02</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
14. लेखन सामग्री नियंत्रक	24.79	...	24.79	44.81	...	44.81	40.63	...	40.63	42.00	...	42.00
	-2.46	...	-2.46	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
<i>निवल</i>	<i>22.33</i>	<i>...</i>	<i>22.33</i>	<i>41.81</i>	<i>...</i>	<i>41.81</i>	<i>37.63</i>	<i>...</i>	<i>37.63</i>	<i>39.00</i>	<i>...</i>	<i>39.00</i>
15. मुद्रणालय	136.86	...	136.86	164.38	85.00	249.38	145.00	65.00	210.00	165.00	75.00	240.00
	-113.26	...	-113.26	-160.01	...	-160.01	-160.01	...	-160.01	-159.01	...	-159.01
<i>निवल</i>	<i>23.60</i>	<i>...</i>	<i>23.60</i>	<i>4.37</i>	<i>85.00</i>	<i>89.37</i>	<i>-15.01</i>	<i>65.00</i>	<i>49.99</i>	<i>5.99</i>	<i>75.00</i>	<i>80.99</i>
16. अन्य संगठन	2.94	...	2.94	3.43	...	3.43	1.95	...	1.95	1.52	...	1.52
	-0.04	...	-0.04	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00
<i>निवल</i>	<i>2.90</i>	<i>...</i>	<i>2.90</i>	<i>0.43</i>	<i>...</i>	<i>0.43</i>	<i>-1.05</i>	<i>...</i>	<i>-1.05</i>	<i>-1.48</i>	<i>...</i>	<i>-1.48</i>
17. प्रकाशन नियंत्रक	17.45	...	17.45	19.90	...	19.90	16.61	...	16.61	19.90	...	19.90
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>66.28</b>	<b>...</b>	<b>66.28</b>	<b>66.51</b>	<b>85.00</b>	<b>151.51</b>	<b>38.18</b>	<b>65.00</b>	<b>103.18</b>	<b>63.41</b>	<b>75.00</b>	<b>138.41</b>
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>												
18. हेमीशफेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)	...	140.00	140.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>66.28</b>	<b>140.00</b>	<b>206.28</b>	<b>66.51</b>	<b>125.00</b>	<b>191.51</b>	<b>38.18</b>	<b>105.00</b>	<b>143.18</b>	<b>63.41</b>	<b>115.00</b>	<b>178.41</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)</b>												
19. पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं)												
19.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I	3750.00	...	3750.00	1000.00	...	1000.00	12000.00	...	12000.00	0.01	...	0.01
19.02 मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लिए ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-II	3000.00	...	3000.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
19.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.04 समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास	0.59	...	0.59	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
19.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	104.10	...	104.10	732.91	...	732.91	437.91	...	437.91	496.91	...	496.91
19.06 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें	10002.17	...	10002.17	1542.07	...	1542.07	10098.37	...	10098.37	23038.07	...	23038.07

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19.07 ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए व्याज की अदायगी	4147.84	...	4147.84	4720.00	...	4720.00	4458.70	...	4458.70	4460.00	...	4460.00
19.08 सीआरआईएफ को अंतरण	5665.25	...	5665.25	8000.00	...	8000.00	...	...	...	...	...	...
19.09 सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-5679.25	...	-5679.25	-8000.00	...	-8000.00	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>20990.70</i>	...	<i>20990.70</i>	<i>8000.00</i>	...	<i>8000.00</i>	<i>27000.00</i>	...	<i>27000.00</i>	<i>28000.00</i>	...	<i>28000.00</i>
<b>राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका</b>												
20. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)												
20.01 केंद्रीय घटक	6.30	...	6.30	26.78	...	26.78	59.68	...	59.68	77.98	...	77.98
20.02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	810.31	...	810.31	768.22	...	768.22	735.32	...	735.32	822.02	...	822.02
<i>जोड़- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)</i>	<i>816.61</i>	...	<i>816.61</i>	<i>795.00</i>	...	<i>795.00</i>	<i>795.00</i>	...	<i>795.00</i>	<i>900.00</i>	...	<i>900.00</i>
<b>शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन</b>												
21. अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन)												
21.01 शहरी पुनरुज्जीवन मिशन - 500 शहर	6448.35	...	6448.35	7300.00	...	7300.00	7300.00	...	7300.00	7300.00	...	7300.00
22. स्मार्ट सिटी मिशन												
22.01 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन	3374.34	...	3374.34	6117.97	...	6117.97	6457.84	...	6457.84	6465.97	...	6465.97
	-69.08	...	-69.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>3305.26</i>	...	<i>3305.26</i>	<i>6117.97</i>	...	<i>6117.97</i>	<i>6457.84</i>	...	<i>6457.84</i>	<i>6465.97</i>	...	<i>6465.97</i>
22.02 नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस)	...	...	...	332.03	...	332.03	142.16	...	142.16	334.03	...	334.03
<i>जोड़- स्मार्ट सिटी मिशन</i>	<i>3305.26</i>	...	<i>3305.26</i>	<i>6450.00</i>	...	<i>6450.00</i>	<i>6600.00</i>	...	<i>6600.00</i>	<i>6800.00</i>	...	<i>6800.00</i>
<b>जोड़-शहरी पुनरुज्जीवन अभियान : अमृतऔर स्मार्ट सिटी मिशन</b>	<b>9753.61</b>	...	<b>9753.61</b>	<b>13750.00</b>	...	<b>13750.00</b>	<b>13900.00</b>	...	<b>13900.00</b>	<b>14100.00</b>	...	<b>14100.00</b>
<b>स्वच्छ भारत मिशन</b>												
23. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी												
23.01 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजनाएं - केंद्रीय घटक	31.30	...	31.30	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.02 राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से वित्तपोषित योजना - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक	908.45	...	908.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23.03 सकल बजट सहायता	55.15	...	55.15	2300.00	...	2300.00	2000.00	...	2000.00	2300.00	...	2300.00
<i>जोड़- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी</i>	<i>994.90</i>	...	<i>994.90</i>	<i>2300.00</i>	...	<i>2300.00</i>	<i>2000.00</i>	...	<i>2000.00</i>	<i>2300.00</i>	...	<i>2300.00</i>
24. वास्तविक वसूलियां	-1.56	...	-1.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>32554.26</b>	...	<b>32554.26</b>	<b>24845.00</b>	...	<b>24845.00</b>	<b>43695.00</b>	...	<b>43695.00</b>	<b>45300.00</b>	...	<b>45300.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>36397.28</b>	<b>10303.68</b>	<b>46700.96</b>	<b>28821.99</b>	<b>25759.01</b>	<b>54581.00</b>	<b>47893.76</b>	<b>25956.50</b>	<b>73850.26</b>	<b>49208.45</b>	<b>27341.01</b>	<b>76549.46</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	99.25	...	99.25	112.22	...	112.22	108.14	...	108.14	120.00	...	120.00
2. लेखन सामग्री और छपाई	63.61	...	63.61	66.38	...	66.38	39.37	...	39.37	65.19	...	65.19

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. लोक निर्माण कार्य	1923.73	...	1923.73	2114.28	...	2114.28	2117.68	...	2117.68	2190.18	...	2190.18
4. लेखन सामग्री और छपाई पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	85.00	85.00	...	65.00	65.00	...	75.00	75.00
5. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1000.64	1000.64	...	1735.20	1735.20	...	1830.13	1830.13	...	2598.10	2598.10
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>2086.59</b>	<b>1000.64</b>	<b>3087.23</b>	<b>2292.88</b>	<b>1820.20</b>	<b>4113.08</b>	<b>2265.19</b>	<b>1895.13</b>	<b>4160.32</b>	<b>2375.37</b>	<b>2673.10</b>	<b>5048.47</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
6. सामान्य शिक्षा	2.67	...	2.67	0.13	...	0.13	-1.19	...	-1.19	-1.78	...	-1.78
7. आवास	12015.78	...	12015.78	7509.77	...	7509.77	18139.50	...	18139.50	6129.62	...	6129.62
8. शहरी विकास	545.87	...	545.87	730.94	...	730.94	640.92	...	640.92	992.94	...	992.94
9. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	...	567.19	567.19	...	606.07	606.07	...	756.07	756.07	...	873.02	873.02
10. शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	...	1720.85	1720.85	...	3484.91	3484.91	...	4359.69	4359.69	...	3732.00	3732.00
11. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	22.79	22.79	...	9.74	9.74	...	2.30	2.30	...	1.89	1.89
12. शहरी विकास के लिए ऋण	...	6991.74	6991.74	...	19837.09	19837.09	...	18942.31	18942.31	...	20060.00	20060.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>12564.32</b>	<b>9302.57</b>	<b>21866.89</b>	<b>8240.84</b>	<b>23937.81</b>	<b>32178.65</b>	<b>18779.23</b>	<b>24060.37</b>	<b>42839.60</b>	<b>7120.78</b>	<b>24666.91</b>	<b>31787.69</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
13. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	119.92	...	119.92	226.71	...	226.71	359.60	...	359.60	227.90	...	227.90
14. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.47	0.47	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>119.92</b>	<b>0.47</b>	<b>120.39</b>	<b>226.71</b>	<b>1.00</b>	<b>227.71</b>	<b>359.60</b>	<b>1.00</b>	<b>360.60</b>	<b>227.90</b>	<b>1.00</b>	<b>228.90</b>
<b>अन्य</b>												
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	674.07	...	674.07	562.81	...	562.81	844.04	...	844.04
16. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	21233.18	...	21233.18	16604.48	...	16604.48	25210.82	...	25210.82	37824.35	...	37824.35
17. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	393.27	...	393.27	783.01	...	783.01	716.11	...	716.11	816.01	...	816.01
18. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>21626.45</b>	...	<b>21626.45</b>	<b>18061.56</b>	...	<b>18061.56</b>	<b>26489.74</b>	...	<b>26489.74</b>	<b>39484.40</b>	...	<b>39484.40</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>36397.28</b>	<b>10303.68</b>	<b>46700.96</b>	<b>28821.99</b>	<b>25759.01</b>	<b>54581.00</b>	<b>47893.76</b>	<b>25956.50</b>	<b>73850.26</b>	<b>49208.45</b>	<b>27341.01</b>	<b>76549.46</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड	...	277.00	277.00	...	280.00	280.00	...	280.00	280.00	...	250.00	250.00
2. आवासन एवं शहरी विकास निगम	...	9215.77	9215.77	...	16015.24	16015.24	...	10459.12	10459.12	...	15335.07	15335.07
3. मेट्रो एवं एमआरटीएस परियोजनाएं	8572.59	800.00	9372.59	18998.00	1300.00	20298.00	18978.00	1487.50	20465.50	19130.00	2287.50	21417.50

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

		बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
		आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	(₹ करोड़)	
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम	...	...	4284.00	...	4284.00	4284.00	...	4284.00	4622.00	...	4622.00	
5.	भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद	...	...	...	7000.00	7000.00	...	...	...	...	...	...	
6.	हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	140.00	...	140.00	...	...	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	
<b>जोड़</b>		<b>8712.59</b>	<b>10292.77</b>	<b>19005.36</b>	<b>23282.00</b>	<b>24595.24</b>	<b>47877.24</b>	<b>23302.00</b>	<b>12226.62</b>	<b>35528.62</b>	<b>23792.00</b>	<b>17872.57</b>	<b>41664.57</b>

2.01. **सचिवालय:** यह प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान सहित आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2.03. **संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान संपदा निदेशालय के कंप्यूटरीकरण और सचिवालय व्यय के लिए है।

2.04. **भूमि और विकास कार्यालय की स्थापना:** यह प्रावधान भूमि एवं विकास कार्यालय की स्थापना व्यय के लिए है।

2.05. **अंतर्राष्ट्रीय अंशदान:** इस प्रावधान में 2020-21 से संयुक्त राष्ट्र मानव समाधान केंद्रों तथा राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार के मंच और आवासन एवं शहरी विकास पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क हेतु अंशदान शामिल है।

3. **संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त संगठन:** 3.01-3.06

यह प्रावधान नगर और ग्राम आयोजना संगठन, जो शहरी और क्षेत्रीय योजना से संबंधित और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान है, दिल्ली शहरी कला आयोग, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और राजघाट समाधि समिति के लिए है।

3.07. **भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी):** यह भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अनुदान के लिए है।

3.08. **केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन:** यह केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवासन संगठन को अनुदान के लिए है।

3.09. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन:** यह राष्ट्रीय भवन संगठन के लिए अनुदान और अन्य व्यय के लिए है।

3.10. **स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान स्थावर संपदा विनियामक प्राधिकरण को अनुदानों के लिए है।

3.11. **केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग:** यह प्रावधान 2020-21 से शिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के कंप्यूटरीकरण सहित सचिवालय के कंप्यूटरीकरण संबंधी व्यय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

4. **मेट्रो परियोजनाएं:** 4.01-4.03

ये प्रावधान मेट्रो परियोजनाओं की इक्विटी, ऋण, पासबुक सहायता के लिए हैं।

5. **शहरी परिवहन में परिवहन आयोजना और क्षमता निर्माण:** यह प्रावधान परिवहन योजना और क्षमता निर्माण की योजना के लिए है।

6. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम:** प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में इक्विटी निवेश के लिए है।

7. **आवासीय:** प्रावधान सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए है।

8. **गैर-आवासीय:** यह प्रावधान गैर-आवासीय कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए है, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आदि शामिल हैं।

10. **पूर्वोत्तर में अन्य परियोजनाएं:** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए है।

11. **चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्मल कौशल विकास योजना:** यह प्रावधान चैम्पियन सेवाएं क्षेत्र योजना - निर्माण कौशल विकास योजना के लिए है।

12. **प्रधान मंत्री की फेरी वाला आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि):** यह प्रावधान प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेडर्स की आत्मनिर्भर निधि के लिए है।

13. **सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक (पीएचई) क्षेत्र विकास योजना:** विभागों/यूएलबी इत्यादि के विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकों (पीएचई) के सेवारत अभियांत्रिकों और पैरा इंजिनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है।

14. **लेखन सामग्री नियंत्रक:** यह प्रावधान केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री और भण्डार की खरीद और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।

15. **मुद्रणालय:** यह प्रावधान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के लिए अभिचिह्नित है। इसमें पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय भी शामिल हैं जो सरकारी मुद्रण कार्य करते हैं।
16. **अन्य संगठन:** प्रावधान अन्य संगठनों के लिए है, जिसमें मुद्रण निदेशालय, पर्चा स्टोर, निजी प्रेस के माध्यम से मुद्रण और पाठ्यपुस्तक प्रेस के लिए प्रावधान शामिल है।
17. **प्रकाशन नियंत्रक:** प्रकाशन नियंत्रक एक केंद्रीय संगठन के लिए है जो सरकारी प्रकाशनों को एकत्रित, वितरित तथा विक्री करता है।
18. **हेमीस्फेर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल):** यह प्रावधान एचपीआईएल, इस मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए है। जो 12.07.2018 से दूरसंचार विभाग से अंतरित है।
19. **पीएमएवाई-शहरी (सीआरआईएफ से वित्त पोषित योजनाएं):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए है, जिसका लक्ष्य हर परिवार के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- 19.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) हेतु ऋण से जुड़ी सस्मिडी योजना (सीएलएसएस)-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सस्मिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर व्याज सस्मिडी प्रदान करने के लिए है।
- 19.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी) के तहत प्रावधान अनुसूचित वाणिज्यिक / सहकारी बैंकों द्वारा समपाश्चिक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।
- 19.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास:** यह प्रावधान समावेशी शहरी अभिशासन के लिए संस्थागत विकास के लिए है।
- 19.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 19.06. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** प्रावधान पी एम ए वाई (यू) की योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। इसमें अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल हैं।
- 19.07. **ईबीआर के जरिए लिए गए ऋण के लिए व्याज की अदायगी:** प्रावधान पीएमएवाई (यू) स्कीम के लिए बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से जुटाए गए ऋण की व्याज अदायगी के लिए है।
20. **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम):** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीब की गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए है। इस मिशन का

उद्देश्य शहरी बेघरों को अत्यावश्यक सेवाओं से युक्त घर उपलब्ध कराना तथा शहरी रेहड़ी वालों की आजीविका संबंधी सरोकारों का भी निराकरण करना है।

- 20.01. **केंद्रीय घटक:** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए और एनयूएलएम की योजना के लिए अन्य विविध केंद्रीय घटकों के लिए है।
- 20.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** प्रावधान एनयूएलएम मिशन के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की चालू परियोजनाओं के तहत व्यय को पूरा करने के लिए है।
21. **अमृत (अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन):** प्रावधान अमृत योजना के लिए है।
- 22.01. **100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु मिशन:** प्रावधान 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए है।
- 22.02. **नवाचार, एकीकरण और धारणीयता के लिए शहरी निवेश (सीआईटीआईआईएस):** प्रावधान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए फ्रॉन्सीसी विकास एजेंसी (एएफडी) वित्तपोषित स्कीम के लिए है। जो नवाचार एकीकरण और धारणीयता हेतु शहरी निवेश के लिए है।
23. **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी:** प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की योजना के कार्यान्वयन के लिए है।